दिनांक 06/11/2017 को महानिदेशक महोदय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की अध्यक्षता में आयोजित की गई वार्षिक शासी निकाय बैठक–2017 का कार्यवृत्त।

महानिदेशक भा0ति0सी0पु0 बल की अध्यक्षता में दिनांक 06/11/2017 को महानिदेशालय में रेजीमेंटल निधि की वार्षिक शासी बैठक का आयोजन किया गया एवं उक्त बैठक में शामिल हुए पदाधिकारियों का विवरण **परिशिष्ट–"अ"** पर संलग्न है।

2. प्रारम्भ में उप–महानिरीक्षक (प्रशासन) द्वारा विभिन्न निधियों का विवरण व्यक्त करते हुए बैठक के मूल उद्देश्यों से सभी को अवगत करवाया गया तद्पश्चात् निम्नलिखित फण्डों का गवर्निंग बॉडी के समक्ष लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया एवं लेखा अभिलेख में किसी भी प्रकार की कमियां संज्ञान में नही आने के कारण लेखा जोखा बैठक द्वारा अनुमोदित कर दिया गया :–

1. Central Benevolent (Risk Premium) Fund.
2. Medical Assistance Scheme for Pensioner's.
3. Central Education Fund.
4. Central Benevolent Fund.
5. Central Welfare Fund.
6. Unit Welfare Fund.
7. Battalion Fund.
8. Insurance Scheme.
9. ITBP Employees Education Society.

3. तदोपरांत बल की ईकाइयों से प्राप्त विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इन मुद्दों पर लिए गए निर्णय का उल्लेख **परिशिष्ट–"ब"** पर संलग्न है।

4. इसके अतिरिक्त, महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में वार्षिक शासी निकाय बैठक–2017 में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:–

1. दिनांक 25.09.2017 को आयोजित विशेष शासी निकाय बैठक के निर्णय कि वर्ष–2017 में धौलागिरी पर्वतारोहण अभियान के दौरान बर्फ लगने के कारण हाथ पैर गंवाने वाले दल सं0 990100184 हव0/जी0डी0 नरेन्द्र कुमार, सी0 टी0 अलवर, दल सं0 070311671 सि0/जी0डी0 बिमन विश्वास, 11वीं वाहिनी एवं भारतीय मिशन अफगानिस्तान में Burn injury ग्रस्त दल सं0 950110644 हव0/जी0डी0 सुजान सिंह, 38वीं वाहिनी को Prosthetic Robotic Hand लगवाने पर आने वाले अतिरिक्त खर्च को केन्द्रीय हितकारी निधि से वहन किया जाएगा तथा व्यक्तिविशेष की 65 वर्ष की आयु तक maintenance/replacement के अतिरिक्त खर्च को भी केन्द्रीय हितकारी निधि द्वारा वहन किया जाएगा, को वार्षिक शासी निकाय बैठक –17 द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

कार्रवाई:– निदेशक चिकित्सा/उप–महानिरीक्षक (क्रय/आप्स/प्रशिक्षण)/रेजीमेंटल फण्ड।

2. बल में कार्यरत कर्मियों के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बल में लॉ संस्थान (Institute Of Law) खोले जाने हेतु अनुमति दी गई।

कार्रवाई:– उप–महानिरीक्षक (कल्याण/जैग)/उप–सेनानी (ई.एस.सी.)

लगातार.....2/–

3. दिनांक 24.07.2017 को आयोजित विशेष शासी निकाय बैठक के निर्णय कि सुविधा वाहनों को तुरन्त केन्द्रीय कल्याण निधि से खरीदा जाये को वार्षिक शासी निकाय बैठक द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और भविष्य में बल में जवानों एवं उनके परिवारों के कल्याणार्थ, विभिन्न वाहिनियों/ईकाईयां उनकी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार समय–2 और अतिरिक्त सुविधा वाहन खरीदने की मांग प्रस्तुत कर सकते हैं जिनका वहन केन्द्रीय कल्याण निधि द्वारा किया जायेगा।

कार्रवाईः– उप–महानिरीक्षक (क्रय/कल्याण)/रेजीमेंटल फण्ड।

4. अन्तर सीमांत/अन्तर वाहिनी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीमों की खुराक की राशि को रू. 50/– प्रति सदस्य से बढ़ाकर रू. 60/– प्रति सदस्य 30 दिनों तक संबंधित सीमांत/वाहिनी द्वारा दिये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई।

कार्रवाईः– उप महानिरीक्षक (प्रशिक्षण)/समस्त सीमांत/समस्त वाहिनी।

5. केन्द्रीय कल्याण निधि के अशंदान राशि को रू 25/– से बढाकर रू 50/– प्रति कर्मी प्रति माह की अनुमति प्रदान की गयी है जिसकी कटौती माह मई–2018 के वेतन से की जानी अपेक्षित है।

कार्रवाईः– उप–महानिरीक्षक (प्रशासन)/मु0प्रशा0अधि0 (के0अभि0का0)।

6. केन्द्रीय कल्याण निधि से उच्च शिक्षा के लिए ऋण राशि रू 1,50,000/–से बढ़ाकर रू 2,50,000/– तथा 45 अरापत्रित कर्मियों की तय सीमा को बढ़ाकर 90 कर्मियों के बच्चों को शिक्षा ऋण दिया जायेगा। केन्द्रीय कल्याण निधि के सदस्य होने के कारण स्वीकृत नफरी के अनुपातिक आधार पर 10 राजपत्रित अधिकारियों के बच्चों को भी उक्त सुविधा का लाभ दिया जायेगा, का निर्णय शासी निकाय बैठक द्वारा स्वीकार किया गया है। यह सुविधा दिनांक 31.05.2018 से बल में लागू होगी।

कार्रवाईः– उप–महानिरीक्षक (प्रशासन)/समस्त ईकाईयां।

7. केन्द्रीय कल्याण निधि से पुत्री की शादी हेतु दिए जाने वाले ऋण की धनराशि रू 2,00,000/– को पुत्र (Son) की शादी के लिए भी स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त सुविधा भारत सरकार द्वारा परिभाषित परिवार के सदस्य के अनुसार सीमित होगी। यह सुविधा दिनांक 31.05.2018 से लागू होगी।

कार्रवाईः– उप–महानिरीक्षक (प्रशासन)/समस्त ईकाईयां।

8. बल के समस्त रेजिमेंटल फण्डों के रख रखाव के लिए 90 दिनों में निधि नियम पुस्तिका तैयार कर समस्त ईकाईयों को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

कार्रवाईः– उप–महानिरीक्षक (प्रशासन)/रेजिमेंटल फण्ड।

लगातार.....3/–

09. केन्द्रीय कल्याण निधि से आकस्मिक चिकित्सा मामलों के लिए अकादमी को भी कार्पस राशि के रूप में रू 05 लाख दिये जाने के लिए अनुमति प्रदान की गई है।

कार्रवाई:— निदेशक (अकादमी) मसूरी/उप—महानिरीक्षक (प्रशासन)

10. अन्य स्थानों जैसे चण्डीगढ़, भोपाल एवं लखनऊ में भी स्कूल/हॉस्टल खोलने के लिए अभियंता शाखा एवं शिक्षा अनुभाग, महानिदेशालय द्वारा सर्वे कर तीन माह में रिपोर्ट महानिदेशक महोदय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

कार्रवाई :— उप—महानिरीक्षक (अभियंता/कल्याण)/उप—सेनानी (ई.एस.सी.)।

11. केन्द्रीय हितकारी निधि के अशंदान राशि को रू 300/— से बढ़ाकर रू 500/— प्रति कर्मी प्रति माह की अनुमति प्रदान की गयी है जिसकी कटौती माह मई—2018 के वेतन से की जानी अपेक्षित है और उक्त संबंध में देय वित्तीय लाभांश दिनांक 31.05.2018 से ही प्रभावी होंगे :—

क) ऑपरेशनल मृत्यु (Operational Death) पर देय वित्तीय लाभांश — **रू0 30,00,000/—**

(Death attributable to acts of violence by terrorists, anti-social elements, etc. whether in their performance of duties or otherwise. Apart from cases of death sustained ITBP personnel while employed in aid of the civil administration in quelling agitation, riots or revolt by demonstrators, other public servants including police personnel, etc., bomb blasts in public places or transport, indiscriminate, shooting incidents in public, etc. and death arising as a result of (a) Attack by or during action against extremists, anti-social element, etc. (b) Enemy action in international war or border skirmishes and warlike situations, including cases which are attributable to (i) extremists acts, exploding mines, etc. while on way to anti operational area, (ii) kidnapping by extremists and (iii) battle in inoculation/field fire as part of training exercises with live ammunition, would be covered under this category)

ख) किसी भी प्रकार की मृत्यु (Including Suicidal Death) पर देय वित्तीय लाभांश — **रू0 20,00,000/—**

ग) a) निम्नवत् कारणों से मेडिकल बोर्ड आउट पर देय वित्तीय लाभांश (Irrespective percentage of disability) — **रू0 25,00,000/—**

(Disability attributable to acts of violence by terrorists, anti-social elements, etc. whether in their performance of duties or otherwise. Apart from cases of injury sustained ITBP personnel while employed in aid of the civil administration in quelling agitation, riots or revolt by demonstrators, other public servants including police personnel, etc., bomb blasts in public places or transport, indiscriminate, shooting incidents in public, etc. and death arising as a result of (a) Attack by or during action against extremists, anti-social element, etc. (b) Enemy action in international war or border skirmishes and warlike situations, including cases which are attributable to (i) extremists acts, exploding mines, etc. while on way to anti operational area, (ii) kidnapping by extremists and (iii) battle in inoculation/field fire as part of training exercises with live ammunition, would be covered under this category.)

b) उपरोक्त के अलावा Medically boarded out पर देय वित्तीय लाभांश निम्नवत् होंगे।

लगातार.....4/—

i)	0—50 प्रतिशत अपंगता पर	रू0 8,00,000/—
ii)	51—75 प्रतिशत अपंगता पर	रू0 10,00,000/—
iii)	76—100 प्रतिशत अपंगता पर	रू0 15,00,000/—

घ) **गुमशुदा (Missing) पर देय वित्तीय लाभांश** रू0 **20,00,000/—**

(Rs. 05 Lakh paid as immediate relief to NOK on undertaking after declared missing officially with condition that if missing personnel appears in future. amount will be refunded by the NOK immediately and remaining Rs. 15 Lakh on declared dead. as per rules)

ड़) बल के पदाधिकारियों द्वारा कुल जमा अंशदान को सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति पर 8 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर के साथ दिनांक 31.05.2018 से जी0 पी0 एफ0 फार्मुला के अनुसार वापिस किया जायेगा।

कार्रवाई :— उप—महानिरीक्षक (प्रशासन)/मु0प्रशा0अधि0 (के0अभि0का0)/समस्त ईकाईयां

12. सेनानी/कार्यालय अध्यक्ष को चिकित्सा अग्रिम की राशि रू. 2,00,000/— के स्थान पर रू0 3,00,000/— एवं अन्तिम भुगतान की राशि रू. 40,000/— के स्थान पर रू0 50,000/— के व्यय की वित्तीय शक्ति, वाहिनी कल्याण निधि से प्रदत्त की गई है।

कार्रवाई :— उप—महानिरीक्षक (प्रशासन)/समस्त ईकाईयां।

13. अंत में अन्य कोई मुद्दा न होने पर धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सभा का समापन किया गया।

Sandeep

(संदीप खोसला)
उप—महानिरीक्षक (प्रशासन)
महानिदेशालय, भा0ति0सी0पुलिस

संख्या—11—36012/रेजी0फण्ड/वा0शा0नि0 बैठक/2017-659-760 दिनांक-26/04/2018

वितरण :—

1. निजि सचिव, महानिदेशक, महानिदेशालय, भा0ति0सी0पु0 बल।
2. निजि सचिव, अपर महानिदेशक, महानिदेशालय, भा0ति0सी0पु0 बल।
3. सभी महानिरीक्षक, महानिदेशालय भा0ति0सी0पु0 बल।
4. निदेशक(चिकित्सा) महानिदेशालय भा0ति0सी0पु0 बल।
5. समस्त सीमांत मुख्यालय, भा0ति0सी0पु0 बल।
6. समस्त प्रशिक्षण केन्द्र, भा0ति0सी0पु0 बल।
7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार, महानिदेशालय भा0ति0सी0पु0 बल।
8. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय, भा0ति0सी0पु0 बल।
9. समस्त उप—महानिरीक्षक, महानिदेशालय, भा0ति0सी0पु0 बल।
10. समस्त क्षेत्रीय मुख्यालय, भा0ति0सी0पु0 बल।
11. समस्त वाहिनियां/फील्ड फारमेशन, भा0ति0सी0पु0 बल।
12. आधार चिकित्सालय/कम्पोजिट चिकित्सालय, भा0ति0सी0पु0 बल।
13. समस्त शाखा, महानिदेशालय, भा0ति0सी0पु0 बल।
14. प्रभारी अधिकारी रेजीमेंटल फण्ड, महानिदेशालय, भा0ति0सी0पु0 बल।

परिशिष्ट –"ब"

केन्द्रीय हितकारी निधि				
क्र0 सं0	मुद्दे	वाहिनी	प्रस्तावित	निर्णय लिया गया।
1	1. सी0बी0 निधि अंशदान जो कि वर्तमान समय में रू0 300/–प्रति पदाधिकारी के वेतन से कटौती कर जमा किया जा रहा है को **बढ़ाकर रू0 500/–** प्रतिमाह किया जाना चाहिए चूंकि सातवां वेतन आयोग लागू किया जा चुका है जिससे बल के सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्तों में वृद्वि हुई एवं साथ ही सी0 बी0 निधि जमा राशि पर ब्याज राशि मिलनी चाहिए। 2 केन्द्रीय हितकारी निधि से वर्तमान समय में रू0 300/–प्रति पदाधिकारी से कटौती हो रही है जिसे बढ़ाकर रू0 500/900– किया जाना चाहिए तथा इससे मिलने वाले लाभांश से मृत्यु के मामले में रू0 05 लाख के स्थान पर रू0 7/10/15 लाख तथा मेडिकल बोर्ड आउट के मामले में रू0 02 लाख के स्थान पर रू0 4/6 लाख होना चाहिए।	2वीं/17वीं/37 वीं/38वीं वाहिनी/ पर्व0 स्की0 संस्थान औली /क्षेत्रीय मुख्यालय (शिमला)/क्षेत्रीय मुख्यालय (ईटानगर) दूर संचार वाहिनी	इस निधि का अंशदान माह जनवरी 2016 से रू0 150/– से बढ़ाकर रू0 300/– किया गया जिस पर मृत्यु के मामले पर रू0 5,00,000/– तथा मेडिकल बोर्ड आउट पर रू0 2,00,000/– दिया जा रहा है। उक्त सम्बन्ध में निर्णय मुददा नं0 02 के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।	सी0बी0 निधि अंशदान रू0 300/– से 500/– बढ़ाने हेतु अनुमति दी। उक्त संबध में देय लाभाशों का विवरण पृष्ठ–3 के पैरा 11 पर देखें। **कार्रवाई:**–उप–महानिरीक्षक (प्रशासन)/समस्त ईकाईयां।
2	निधि से वर्तमान में रू0 300/– के अंशदान पर मृत्यु के मामले में रू0 5,00,000/– तथा मेडिकल बोर्ड आउट पर रू0 2,00,000/–दिया जा रहा है। फण्ड की स्थिति के मद्देनजर अंशदान रू0 500 बढ़ाकर निम्नानुसार देय लाभांश किया जाएगा:– क) किसी भी प्रकार की मृत्यु पर तत्काल सहायता राशि रू 20,00,000/– ख) मेडिकल बोर्ड आऊट पर रू0 10,00,000/– **अथवा** बल के सभी जवानों को बीमित करने के लिए रू	महानिदेशालय	निर्णय शासी निकाय बैठक में लिया जा सकता है। दिनांक 09/03/2017 से बल में लागू बीमा योजना के माध्यम् से रू 2240/– वार्षिक प्रीमियम प्रति व्यक्ति भुगतान पर देय लाभांश निम्नानुसार है:– क) किसी भी प्रकार	प्रति कर्मी अंश्दान रू. 300 से 500 रू. बढ़ाने की अनुमति प्रदान की गई। उक्त संबध में देय लाभाशों का विवरण पृष्ठ–3 के पैरा 11 पर देखें। **कार्रवाई:**– उप–महानिरीक्षक (प्रशासन)/रेजीमेंटल फण्ड/ समस्त ईकाईयां।

	500/– में से बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के बाद सी बी निधि से निम्नानुसार देय लाभांश दिया जाएगाः– क) किसी भी प्रकार की मृत्यु पर तत्काल सहायता राशि रू 10,00,000/– ख) मेडिकल बोर्ड आऊट पर रू0 6,00,000/– वर्तमान में सेवामुक्त/सेवा निवृत पदाधिकारियों को सी0बी0निधि में जमा धनराशि बिना किसी ब्याज व बोनस के वापस किया जाता है को भी 8 प्रतिशत की (Simple Interest) दर से जमा राशि पर सेवामुक्त/सेवानिवृत कर्मियों को बोनस दिया जा सकता है।		क) किसी भी प्रकार की मृत्यु (including suicidal case) पर रू 10 लाख। ख) दुर्घटना मृत्यु पर रू 20 लाख । ग) मेडिकल बोर्ड आउट पर रू 10 लाख।	
3	इस निधि के रख–रखाव के लिए नियुक्त लिपिक को वर्तमान समय में कोई मानदेय स्वीकृत नही किया जा रहा है। अतः इस निधि के रख–रखाव हेतु नियुक्त लिपिक के लिए रू0 150/–का मानदेय देय किया जाना चाहिए।	22वीं वाहिनी	स्थिति यथावत रखी जाये।	यथावत रखा जाए। **कार्रवाईः**–समस्त ईकाईयां।
4	इस निधि का पूर्ण लेखा–जोखा वाहिनी स्तर पर संजोकर रखने के बजाय जहां इसकी राशि प्राप्त हो रही है (रेजीमेन्टल फण्ड महानिदेशालय) में रखा जाना चाहिए क्योंकि बल कर्मी प्रत्येक वर्ष एक वाहिनी/संस्थान से दूसरी वाहिनी/संस्थान में स्थानांतरित होते रहते हैं जिनके सी0बी0 फण्ड का अंशदान के अभिलेख में काफी हद तक त्रुटियां होने की सम्भावना होती है जिससे इस निधि के मूलधन में कमी आ सकती है तथा वाहिनियों/संस्थानों में अंशदान के अभिलेख को एक दूसरे को स्थानांतरित करने हेतु होने वाले अत्यधिक पत्राचार से बचा जा सके। जिसके लिए केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय से पूर्ण बल का पूर्ण विवरण रेजीमेन्टल फण्ड को भेजा जा सकता है।	22वीं वाहिनी	यथावत स्थिति रखी जाये।	उक्त मुद्दे पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (के0अभि0का0) सी0बी0 निधि के अंशदान अभिलेख को अपने स्तर पर केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय द्वारा रख–रखाव करने की कार्रवाई की रिपोर्ट 01 माह में प्रस्तुत करे। **कार्रवाईः**– मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (के0अभि0का0), आर0के0पुरम।

5	(अ) सी0बी0फण्ड की लेखन सामग्री जैसे–पासबुक लेजर पंजिका इत्यादि जो महानिदेशालय/एस0एस0 वाहिनी से मुहैया करवाई जाती है वह लेखन सामग्री वाहिनियों की आवश्यकतानुसार मुहैया नहीं हो पा रही है। वाहिनियों से विभिन्न पदाधिकारियों को स्थानान्तरण निरन्तर बल की दूसरी वाहिनी में होने के परिणामस्वरूप उनके लेखे–जोखे को उनकी सम्बन्धित वाहिनियों को भेजने में कठिनाई हो रही है तथा सम्बन्धित वाहिनियों द्वारा उनके रिकार्ड हेतु लगातार पत्राचार किया जा रहा है लेकिन वाहिनी के पास पासबुकें उपलब्ध न होने के कारण उनके रिकार्ड को समय पर नही भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त लेजर उपलब्ध न होने के कारण वाहिनी में इसका रख–रखाव करना भी मुश्किल हो रहा है। अतः सुझाव है कि वाहिनी को लेखन सामग्री आवश्यकतानुसार मुहैया करवाई जाये ताकि रिकार्ड का रख रखाव सही प्रकार से किया जा सके।	52वीं वाहिनी	माह 06/2017 में प्रत्येक वाहिनी के लिए 130 नग सी0बी0 निधि पास बुक तथा 01 नग लेजर एस0एस0 वाहिनी के माध्यम से निर्गम किये गये है। अतः लेखन सामग्री खर्च के लिए वाहिनियों को धनराशि की आवश्यकता नहीं है।	माह 06/2017 में प्रत्येक वाहिनी के लिए 130 नग सी0बी0 निधि पास बुक तथा 01 नग लेजर एस0एस0 वाहिनी के माध्यम से निर्गम किये गये है। अतः लेखन सामग्री खर्च के लिए वाहिनियों को धनराशि दिया जाना संभव नहीं है। **कार्रवाई**– समस्त ईकाईयां।
	(ब) केन्द्रीय हितकारी निधि पास बुक एवं लेजर के रख–रखाव हेतु लेखन सामग्री के लिए रू0 1,500/5000/– की धनराशि का प्रावधान होना चाहिए।	23वीं/49वीं वाहिनी		
6	इस निधि में जमा अंशदान पर कर्मियों के सेवानिवृत पर ब्याज सहित पुनर्भुगतान किया जाना चाहिए। क्योंकि इस निधि में जमा अंशदान के अपेक्षा व्यय कम है। सेवा निवृत के समय केन्द्रीय हितकारी निधि से मिलने वाली राशि पर ब्याज एवं बोनस दिया जाना चाहिए।	5वीं/22वीं वाहिनी/क्षेत्रीय मुख्यालय(शिमला) / क्षेत्रीय मुख्यालय(दिल्ली) सी0टी0सी0 अलवर .	निर्णय मुददा नं0 02 पर विचाराधीन है।	मुददा नं0 02 पर निर्णय लिया जा चुका है।

7	केन्द्रीय हितकारी (जोखिम बीमा) निधि व मास्प की भांति इस निधि को बन्द न करके जारी रखा जाना चाहिए तथा इस राशि पर सेवा निवृत तथा सेवा परित्याग के समय बोनस/ब्याज या पेंशन का मुल्यांकन (व्यक्ति विशेष के अंशदान के आधार पर) करके किया जाना चाहिए वर्तमान समय में केवल मृत्यु के मामले में एकमुश्त रू0 5,00,000 धनराशि का प्रावधान है जबकि व्यक्तिगत या सामूहिक वित्तीय निवेश पर Risk Cover के साथ एक निर्धारित Return का प्रावधान होना चाहिए।	सपोर्ट वैपन ट्रेनिंग स्कूल	निर्णय मुददा नं0 02 पर विचाराधीन है।	मुददा नं0 02 पर निर्णय लिया जा चुका है।
8	रेजीमेन्टल निधियों की व्यवस्था के लिए प्रत्येक वर्ष शासी निकाय बैठक के दौरान संशोधित आदेशों/अनुदेशों हेतु महानिदेशालय द्वारा दिनांक 01.08.1999 को रेजीमेन्टल संस्थान एवं निधि नियम–पुस्तिका जारी की गई थी। चूंकि उक्त पुस्तिका जारी हुए एक लम्बा समय व्यतीत हो चुका है एवं अनेक नये आदेश व संशोधन रेजीमेन्टल फण्डों में जारी किये जा चुके है। अतः रेजीमेन्टल निधियों की व्यवस्था हेतु पूर्व में दिये गये आदेशों/अनुदेशों एवं नये संशोधन को समेकित करते हुए एक नई निधि पुस्तिका तैयार कर सभी ईकाईयों को वितरित करने का सुझाव दिया जाता है। ताकि रेजीमेन्टल निधियों से सम्बन्धित सभी आदेश एक ही स्थान पर संकलित हों एवं जिससे निधियों के संचालन में एक रूपता लाई जा सके।	10वीं वाहिनी	निधि नियम पुस्तिका वार्षिक शासी निकाय बैठक 2017 के बाद जारी की जायेगी।	निधि नियम पुस्तिका 90 दिनों के अंदर रेजीमेंटल फण्ड जारी करना सुनिश्चित करे। **कार्रवाईः–** उप–महानिरीक्षक (प्रशासन)/रेजीमेंटल फण्ड।
केन्द्रीय कल्याण निधि				
1	नव सृजित वाहिनी के लिए सब्सिडरी कैन्टीन खोलने हेतु केन्द्रीय कल्याण निधि महानिदेशालय से रू0 10,00,000 अग्रिम प्रदान करने का प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि सी0पी0सी0	54वीं वाहिनी	केवल नई सी0 पी0 सी0 सब्सिडरी कैन्टीनों को खोलने के लिए रू 05 लाख दिए जा	नव सृजित वाहिनी के लिए सब्सिडरी सीपीसी कैन्टीन खोलने हेतु केन्द्रीय कल्याण निधि, महानिदेशालय से रू0 10,00,000 अग्रिम प्रदान करने की

	सब्सिडरी कैन्टीन खोलने की अनुमति केन्द्रीय कार्यालय सी0पी0सी0 तब देता है जब वाहिनी के प्राईवेट फण्डों में रू0 10,00,000 उपलब्ध होना अनिवार्य है। चूंकि नवसृजित वाहिनी होने के कारण वाहिनी के प्राईवेट फण्डों में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होती है इसलिए जवानों एवं उसके परिवार के कल्याणार्थ हेतु सब्सिडरी कैन्टीन खोलने में कठिनाई होती है जिस कारण दैनिक उपयोग का सामान लेने हेतु स्थानीय बाजार जाना पड़ता है जो कि जवानों को काफी मंहगा पड़ता है।		सकते हैं जिसकी रिक्वरी रू 01 लाख प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में पूरी की जाएगी। अतः बैठक में निर्णय लिया जा सकता है।	अनुमति इस आशय के साथ दी जाती है कि राशि की वसूली रू. 2,00,000/– प्रति वर्ष की दर से 05 वर्षों में की जाएगी अथवा संबंधित वाहिनी अपनी सुविधा अनुसार 05 वर्ष से कम अवधि में भी धनराशि वापिस कर सकती है। समय पर कुल ऋण राशि वापिस न करने पर 05 प्रतिशत् वार्षिक ब्याज दर से अर्थदंड (Penalty) के तौर पर राशि वसूली जाएगी। यही नियम पूर्व में जिन संस्थानों/ईकाईयों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं उन पर भी दिनॉक 01 जून 2018 से प्रभावी होगें। **कार्रवाईः**–उप–महानिरीक्षक (प्रशासन)/ रेजीमेंटल फण्ड/ समस्त ईकाईयां।
2	इस निधि से उच्च शिक्षा जैसे–बी0टैक, एम0टैक, तथा एम0बी0बी0 एस0 आदि के लिए ऋण रू0 1,50,000 मात्र का प्रावधान है को वर्तमान शिक्षा व्यय को देखते हुए इसे बढ़ाकर रू0 2,00,000/3,00,000 करना चाहिए तथा सभी कर्मियों को सेवा के दौरान एक बार एक बच्चे को किसी भी प्रकार की उच्च शिक्षा हेतु देय किया जाना चाहिए ताकि बल के सभी कर्मी इस योजना से लाभान्वित हों तथा उनके बच्चों को शिक्षा सहायता प्राप्त हो सके।	22वीं /परिवहन वाहिनी/ क्षेत्रीय मुख्यालय (ईटानगर)	राशि बढाये जाने की आवश्यता नहीं है, क्योंकि शासी निकाय बैठक 2014 के निर्णय के अनुसार शिक्षा ऋण की सीमा 01 लाख से बढाकर 1.50 लाख एवं वर्ष में 30 कर्मी से बढाकर 45 कर्मियों को दिया जा रहा है।	उच्च शिक्षा के लिए ऋण राशि रू0 1,50,000/– से बढ़ाकर रू. 2,50,000/– तथा 45 अरापत्रित कर्मियों की तय सीमा को बढ़ाकर 90 कर्मियों के बच्चों को शिक्षा ऋण दिया जायेगा। केन्द्रीय कल्याण निधि के सदस्य होने के कारण स्वीकृत नफरी के अनुपातिक आधार पर 10 राजपत्रित अधिकारियों के बच्चों को भी उक्त सुविधा का लाभ दिया जायेगा, का निर्णय शासी निकाय बैठक द्वारा स्वीकार किया गया है। यह सुविधा दिनांक 31.05.2018 से बल में लागू होगी।

				कार्रवाई– उप–महानिरीक्षक (प्रशासन)/रेजीमेंटल फण्ड/समस्त ईकाईयां।
3	केन्द्रीय कल्याण निधि से पुत्री की शादी हेतु मिलने वाली अग्रिम ऋण की धनराशि रू0 2,00,000 का प्रावधान है। उक्त अग्रिम ऋण बहिन एवं बेटे की शादी के लिए भी होना चाहिए क्योंकि अधिकांश पदाधिकारियों के ऊपर बहन व बेटे निर्भर होते है।	18वीं/46वीं/ 52वीं वाहिनी	शासी निकाय बैठक–2016 में रू 2 लाख का लोन बेटी की शादी के लिए दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। अतः यथा स्थिति रखी जाये।	केन्द्रीय कल्याण निधि से पुत्री की शादी हेतु दी जाने वाली अग्रिम ऋण की धनराशि रू0 2,00,000 को पुत्र की शादी में भी देने की अनुमति प्रदान की गई। **कार्रवाई**:– उप–महानिरीक्षक (प्रशासन)/रेजीमेंटल फण्ड/समस्त ईकाईयां।
4	केन्द्रीय कल्याण निधि से बल के जरूरतमंद पदाधिकारियों को व्यक्तिगत लोन (Personnel Loan) रू0 5,00,000/–तक बैंक ब्याज दर से 50 प्रतिशत कम पर ऋण देने का प्रावधान होना चाहिए। जो कि आसान किस्तों में वसूल किया जा सकता है। इससे न केवल निधि में वृद्धि होगी बल्कि पदाधिकारी अपनी आर्थिक जरूरत को कुछ हद तक पूर्ण कर सकेंगें।	क्षेत्रीय मुख्यालय (गंगटोक)	Personnel लोन बैंको द्वारा आसानी से उपलब्ध कराया जाता है। अतः केन्द्रीय कल्याण निधि से व्यक्तिगत लोन दिया जाना सम्भव नहीं है।	मुद्दा स्वीकार नही किया गया। **कार्रवाई**:– रेजीमेंटल फण्ड/समस्त ईकाईयां।
5	केन्द्रीय कल्याण निधि से बेटी की शादी के लिए दिये गये लोन किस्त की कटौती केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय द्वारा पदाधिकारियों के वेतन से की जानी चाहिए ताकि व्यक्ति विशेष की कटौती से सम्बन्धित विवरण का लेखा–जोखा एक ही जगह रखा जा सके साथ ही अन्त में उस पर लगने वाले ब्याज की रिकवरी भी समय पर की जा सके।	क्षेत्रीय मुख्यालय (गंगटोक)	वर्तमान में ऋणकर्ता अपनी वाहिनी के माध्यम से लोन की किस्त महानिदेशालय को भेजता है। लोन की किस्त की कटौती व्यक्तिगत के वेतन से करने के लिए बैठक में निर्णय लिए जा सकता है।	ऋणकर्ताओं को वेतन वाहिनी के माध्यम् से, देर से प्राप्त होने के अनुरोध पर ऋण राशि की किस्त की कटौती सीधे वेतन से केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा करने के मामलें पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय) अपनी रिपोर्ट 01 माह में महानिदेशक महोदय को प्रस्तुत करें।

				कार्रवाईः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (के0अभि0का0)।
6	(क) बल के पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार गृह निर्माण हेतु बैंक से कम ब्याज दर पर रू0 10,00,000/–के लोन का प्रावधान किया जाये। (ख) लडकी शादी के लिए दी जाने वाली लोन की राशि को रू0 2,00,000/– से रू0 5,00,000/– किया जाये। (ग) उच्च शिक्षा हेतु दी जाने वाली लोन की राशि को रू01,50,000से बढ़ाकर रू0 5,00,000/ किया जाये।	महानिदेशालय (विजीलैंस)	यथास्थिति रखी जाये।	(क) गृह निर्माण के लिए बैंक से आसान किस्तों पर लोन की सुविधा उपलब्ध है। (ख) लड़की के साथ–साथ लड़के की शादी में भी रू. 2,00,000/– का प्रावधान CWF के मुद्दा सं0 03 पर अनुमति दी गई है। (ग) CWF के मुद्दा सं0 02 पर निर्णय लिया जा चुका है। **कार्रवाई–** उप–महानिरीक्षक (प्रशासन)/रेजीमेंटल फण्ड/समस्त ईकाईयां।
7	केन्द्रीय कल्याण निधि से भा0ति0सी0पुलिस अकादमी को भी आकस्मिक चिकित्सा मामलों में अग्रिम धनराशि दिये जाने हेतु कॉपर्स के रूप में रू0 10,00,000/–का प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए अकादमी को प्रायः बल मुख्यालय पर या अकादमी कल्याण निधि पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रत्येक सीमान्त स्तर पर इस निधि से अग्रिम प्रदान करने के लिए रू0 10,00,000/–का प्रावधान रखा गया है।	भा0ति0सी0 पुलिस अकादमी	शासी निकाय बैठक 2016 के निर्णय अनुसार पांच फ्रन्टियर मुख्यालयों को आकस्मिक चिकित्सा मामलों में अग्रिम धनराशि दिये जाने हेतु कापर्स के रूप में रू0 10–10 लाख उपलब्ध कराये गये है। अकादमी को भी कापर्स राशि के रूप में रूपये 05 लाख दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।	अकादमी को भी कापर्स राशि के रूप में रूपये 05 लाख दिये जाने के लिए अनुमति प्रदान की गई। **कार्रवाई–** उप–महानिरीक्षक (प्रशासन)/रेजीमेंटल फण्ड/अकादमी मसूरी।

8	महानिदेशालय द्वारा विभिन्न वाहिनियों/फारमेशनों को बल कर्मियों के मनोंरजन हेतु निर्गम किये गये Dish T.V. Connection के Recharge को पूर्व की भांति भविष्य में भी केन्द्रीय कल्याण निधि से Recharge किया जाना चाहिए।	क्षेत्रीय मुख्यालय (ईटानगर)	वाहिनी स्तर पर निपटान किया जा सकता है।	वाहिनी स्तर पर निपटान किया जाए का निर्णय लिया गया। **कार्रवाई–** समस्त ईकाईयां।
9	शिक्षा लोन की Static & Field Location सीमा 20 व 80 प्रतिशत को समाप्त किया जाये तथा वर्ष में (09+36) 45 कर्मियों को बच्चों को दी जाने वाली लोन राशि की सीमा को भी समाप्त किया जाये।	महानिदेशालय	फण्ड की स्थिति को मददेनजर यथा स्थिति रखी जाये।	45 अरापत्रित कर्मियों की तय सीमा को बढ़ाकर 90 अराजपत्रित पदाधिकारियों के साथ–2 10 राजपत्रित अधिकारियों को भी शिक्षा ऋण लोन सुविधा का लाभ प्रदान करने की अनुमति दी गई। उक्त संबंध में देय वित्तीय लाभांशों का विवरण पृष्ठ –2 के पैरा'–6 पर देखें। **कार्रवाई–** उप–महानिरीक्षक (प्रशासन)/रेजीमेंटल फण्ड/समस्त ईकाईयां।
10	केन्द्रीय कल्याण निधि में बल के प्रत्येक पदाधिकारी से रू 25/– का अंशदान लिया जाता है जिसे बढाकर रू 50/– किया जाना चाहिए।	महानिदेशालय	वित्तीय वर्ष 2016–17 में अंशदान रू 2,55,95,573 + ब्याज रू 1,45,25,871 कुल राशि रू 4,01,21,624/– प्राप्त हुई। खर्च निम्नानुसार:– अ) अंतिम भुगतान	अंशदान रू. 25/– से बढाकर 50/– प्रति कर्मी प्रति माह वेतन से कटौती करने की अनुमति प्रदान की गई है। **कार्रवाई–** मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (के0अभि0का0) /समस्त ईकाईयां।

			रू 31,00,000/– ब) शिक्षा लोन रू 43,75,000/– स) पुत्री विवाह लोन रू 1,09,00,000/– ड)प्राकृतिक आपदा लोन रू 2,00,000/– इ) चिकित्सा अग्रिम रू 97,90,540/– एफ) सुविधा वाहन रू 2,00,00,000/– **कुल रू 4,52,65,544/–** अतः वित्तीय स्थिति के मध्यनजर रू 50/– का अंशदान बढाने पर विचार किया जा सकता है।	
11	a) The monthly regimental deduction of personnel on long courses (any training/courses beyond 03 months) is to be given to respective training centers where the trainees are undergoing training. b) The posted strength of training center. like RTC is very minimal, where as entertainment and recreation facilities need to be created for trainees who are	RTC Sivagangai	अ) रिक्रूटस को भी केन्द्रीय कल्याण निधि में निहित प्रावधान के तहत सभी देय लाभांश प्रदान किये जाते हैं। ब) मनोरंजन हेतु केन्द्रीय कल्याण अनुदान गृह मंत्रालय द्वारा समय–समय पर प्रदान किया जाता है। स) मनोरंजन एवं फर्नीचर पर केन्द्रीय कल्याण अनुदान राशि	यथावत रखा जाए। **कार्रवाई**– रेजीमेंटल फण्ड/समस्त ईकाईयां।

<table>
<tr><td></td><td>undergoing training too. Hence training centers may be provided fund for creating facilities for staff as well trainees while allotting funds for welfare purposes.
c) As per MHA office memorandum no. 3400-503 dated 24.06.14 SOP has put a restriction of spending more than 5 % expenditure for furniture and digital items this restriction may please be waved off while allotting fund for welfare purpose.</td><td></td><td>का खर्च 5 प्रतिशत का निर्धारण गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। अतः रेजिमेंटल फण्ड से उक्त मामले में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">वाहिनी कल्याण निधि</td></tr>
<tr><td>1</td><td>इस निधि में सेनानी को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों में निम्नानुसार सुधार किय जाना आवश्यक है।
<table>
<tr><td>विवरण</td><td>पूर्व में प्रदत्त</td><td>प्रस्तावित</td><td rowspan="4">22वीं/26वीं/39वीं/ दूर संचार /परिवहन वाहिनी</td></tr>
<tr><td>अग्रिम</td><td>रू0 1,00,000</td><td>रू0 2,00,000</td></tr>
<tr><td>चिकित्सा अग्रिम</td><td>रू0 2,00,000</td><td>रू0 5,00,000</td></tr>
<tr><td>अन्तिम भुगतान</td><td>रू0 40,000</td><td>रू0 5,00,000
रू0 1,00,000</td></tr>
</table></td><td>शासी निकाय बैठक 2013 के निर्णयानुसार अन्तिम भुगतान शक्तियों में निम्नानुसार बढ़ोत्तरी की गई है।
सेनानी – 25,000/– से 40,000/–
उप महानिरीक्षक– 50,000/– से 60,000/–
महानिरीक्षक –1,00,000/– से 1,20,000/–
अतः यथास्थिति बनाये रखी जाये।</td><td>इस संबंध में सेनानी/ कार्यालय अध्यक्ष द्वारा चिकित्सा अग्रिम की राशि रू. 2,00,000/– से बढ़ाकर 3,00,000/– एवं अन्तिम भुगतान की राशि रू. 40,000/– से 50,000/– बढ़ाने हेतु व्यय की वित्तीय शक्ति प्रदत्त की गई है।
कार्रवाई– रेजीमेंटल फण्ड/समस्त ईकाईयां।</td></tr>
</table>

2	रेजीमेन्टल फण्डों के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए वाहिनी कल्याण निधि से एक कम्प्यूटर/प्रिन्टर की खरीद की अनुमति होनी चाहिए।	8वीं वाहिनी	यथास्थिति बनाये रखी जाये।	एक कम्प्यूटर प्रिन्टर के साथ, GFR में निहित खरीद प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए खरीदने की अनुमति वाहिनी कल्याण निधि से प्रदान की गई। कम्पयूटर एवं प्रिटंर किसी प्रतिष्ठित ब्रांड (reputated brand) का ही खरीदा जाए जिसकी कीमत रू 40,000/– से अधिक ना हो। **कार्रवाई**– समस्त ईकाईयां।
3	वाहिनी कल्याण निधि से उप महानिरीक्षक को अन्तिम भुगतान की वित्तीय शक्ति रू0 60,000/–है, के स्थान पर रू0 1,00,000/की जानी चाहिए।	क्षेत्रीय मुख्यालय(शिमला)	यथास्थिति बनाये रखी जाये।	यथावत रखा जाए। **कार्रवाई**– समस्त ईकाईयां।
4	वहिनी कल्याण निधि से चिकित्सा मामलों में सेनानी/कार्यालयाध्यक्ष को रू0 2 लाख अग्रिम स्वीकृत करने की शक्ति प्रदान है। नई वाहिनियों के गठित होने की स्थिति में वाहिनी कल्याण निधि में पर्याप्त राशि उपलब्ध नही होती है इसलिए वाहिनी कल्याण निधि में पर्याप्त राशि उपलब्ध न होने की स्थिति में वाहिनी निधि से चिकित्सा मामलों में सेनानी/कार्यालयाध्यक्ष को रू0 02 लाख अग्रिम स्वीकृत करने कीशक्ति प्रदान की जानी चाहिए।	5वीं/47वीं वाहिनी	फण्ड की उपलब्धता के मद्देनजर कार्यालय अध्यक्ष विवेकानुसार विशेष परिस्थितियों में वाहिनी निधि से भी अस्थाई तौर पर फण्ड स्थानांतरित करके ऐसे मामलों का निपटान कर सकते हैं। बशर्ते की दूसरे फण्डों पर इसका विपरीत असर न हो।	प्रस्तावितानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। **कार्रवाई**– समस्त ईकाईयां।
5	वाहिनी कल्याण निधि/वाहिनी निधि एवं वाहिनी क्रीड़ा निधि के रख–रखाव हेतु काम की अधिकता को देखते हुए मानदेय की राशि को बढ़ाना चाहिए।	49वीं वाहिनी	आवश्यकता नही है।	मानदेय की राशि रू. 150/– से बढ़ाकर 200/– करने हेतु अनुमति दी गई।

				कार्रवाई– समस्त ईकाईयां।
6	1. वाहिनी कल्याण निधि से खरीद की जाने वाली वस्तुओं तथा स्टोर का पुनर्निर्धारण किये जाने की आवश्यकता है तथा नये नियम निर्धारत किये जा सकते हैं। जिसमें फर्नीचर से सम्बन्धित सामान एवं इलक्ट्रोनिक सामान जैसे–फ्रीज एवं वासिंग मशीन की खरीद की जा सकती है।	आर0टी0सी0 करेरा	यथास्थिति बनाये रखी जाये।	1. जी0एफ0आर0 नियमों के आधार पर कार्रवाई की जाए।
	2.वर्तमान समय में बाजार भाव से लगातार कीमत में बढ़ोत्तरी होने से वाहिनी कल्याण निधि से कार्यालयाध्यक्ष को प्रदत्त अन्तिम भुगतान की शक्तियों में रू0 40,000 से बढ़ाकर रू0 60,000/ की जानी चाहिए।			2. वाहिनी कल्याण निधि मुद्दा सं0 01 पर निर्णयानुसार कार्रवाई करे। **कार्रवाई–** समस्त ईकाईयां।
7	नव सृजित वाहिनी/विंग एवं संस्थान में जहां पर स्वीकृत नफरी कम है वहां पर वाहिनी कल्याण निधि एवं वाहिनी निधि में पर्याप्त राशि उपलब्ध न होने के कारण स्वतन्त्रता/गणतन्त्र दिवस एवं बल स्थापना दिवस इत्यादि के अवसर पर बड़े खाने की राशि अन्तिम भुगतान करने में कठिनाई आती है। इन समारोह के केन्द्रीय हितकारी निधि से नव सृजित वाहिनी के लिए लगभग 50 हजार रूपये उधार दिये जायें ताकि स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस एवं स्थापना दिवस इत्यादि के अवसर पर बड़े खाने का अन्तिम भुगतान किया जा सके एवं वाहिनी निधि एवं वाहिनी कल्याण निधि से राशि उपलब्ध होने पर वाहिनी द्वारा पुनः केन्द्रीय हितकारी निधि को लौटाया जा सके।	वाटर विंग	केन्द्रीय हितकारी निधि के नियमो में उधार/अग्रिम देने का प्रावधान नही है।	आगामी बैठक में चर्चा करने हेतु निर्णय लिया गया। **कार्रवाई–** रेजीमेंटल फण्ड/समस्त ईकाईयां।

8	नई स्थापित संस्थानो में Grain Shop, Canteen इत्यादि खोलने हेतु कम से कम रू0 5,00,000/–धनराशि बतौर लोन C.W.F से उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो कि इस निधि के Capital रू0 5,00,000/–बन जाने पर वापस किया जा सकता है।	सपोर्ट वैपन ट्रेनिंग स्कूल	केन्द्रीय कल्याण निधि से इससे पूर्व कुछ संस्थानों Formation को बतौर अग्रिम स्वीकृत किया गया लेकिन समय से धनराशि वापस प्राप्त नहीं हो रही है।	केन्द्रीय कल्याण निधि से ग्रेनशाप/वैट कैंटीनों के लिए ऋण उपलब्ध नही करवाया जा सकता है। **कार्रवाई**– उप–महानिरीक्षक (प्रशासन)/रेजीमेंटल फण्ड/समस्त ईकाईयां।
9	विभिन्न अवसरों पर आयोजित होने वाले बड़े खाने की हिस्से की धनराशि को सम्बन्धित वाहिनियों से कम से कम 06 कर्मियों से अधिक होने पर ही मंगाये जाने का प्रावधान है। इस अवसर पर मेजबान वाहिनी में अधिक मात्रा में 05 से कम कर्मी ही अन्य वाहिनियों से अस्थाई डयूटी पर तैनात रहते हैं जिस कारण मेजबान वाहिनी को अधिक मात्रा में खर्च वहन करना पडता है। आजकल धनादेश इत्यादि बनवाने की जरूरत नही है। डिजिटल भुगतान प्रक्रिया के माध्यम से कम से कम धनराशि का भी भुगतान आसान हुआ है। पेमेन्ट राशन वाहिनियों को 04 कर्मियों के हिसाब से रू0 500/– बनता है। अतः मेजबान वाहिनी को सम्बन्धित वाहिनियो से 04कर्मी से कम धनराशि ही वहन किया जाना चाहिए।	39वीं वाहिनी	उक्त प्रावधान को समाप्त किय जाए। मेजबान वाहिनी ही डियूटि पर बाहर से आये जवानो को बडे खाने में शामिल करें और उनके खर्च को वहन कर सकती है या नियमांनुसार बडे खाने की खर्च कटौती को व्यक्तिगत से ले सकती है।	यथावत् रखी जाए। **कार्रवाई**– समस्त ईकाईयां।
वाहिनी निधि				
1	वर्तमान समय में सेवा निवृति पर जाने वाले कर्मियों को दिये जाने वाले उपहार पर खर्च की राशि रू0 5,000 है जिसे बढ़ाकर रू0 8,000/ 10,000 किया जाना चाहिए।	5वीं/9वीं/19वीं/20वीं/22वीं/23वीं/25वीं/33वीं/45वीं 52वीं वाहिनी परिवहन	यथास्थिति बनाये रखी जाये।	यथावत रखा जाए। **कार्रवाईः**– समस्त ईकाईयां।

		वाहिनी/क्षे0मु0शिमला /ईटानगर/भातिसीपु अकादमी		
2	वर्तमान समय में रेजीमेन्टल फण्डों के रख–रखाव हेतु वाहिनी कल्याण निधि से रू0 2500 की स्टेशनरी खरीदने का प्रावधान है जो कि पर्याप्त नही है। अतः इसे बढ़ाकर रू0 3500/ 4500/ 5000 किया जाना चाहिए।	4वीं/5वीं/8वीं/18 वीं/22वीं/24वीं/2 5वीं/ 44वीं 46वीं वाहिनी/दूर संचार वाहिनी/परिवहन वाहिनी/पर्व0 एवं स्की0 संस्थान/सी0टी0सी0 अलवर/क्षे0मु0 (डिब्रुगढ़) पूर्वोत्तर सीमान्त ।	यथास्थिति बनाये रखी जाये।	यथावत रखा जाए। **कार्रवाईः–** समस्त ईकाईयां।
3	वर्तमान समय में बढ़ती मंहगाई को देखते हुए स्वतन्त्रता दिवस/गणतन्त्र दिवस एवं बल स्थापना दिवस समारोह के दिन बड़े खाने का आयोजन किया जाता है जिसमें फ्री राशन वाहिनियों के लिए देय धनराशि रू0 40/–प्रति व्यक्ति दिये जाने का प्रावधान है जिसके बढ़ाकर रू0 60/– एवं पेमेन्ट राशन वाहिनियों में रू0 125 से बढ़ाकर रू0 150/200 प्रति व्यक्ति किया जाना चाहिए।	8वीं/19वीं/52वीं/ दूर संचार वा0/क्षेत्रीय मुख्यालय (शिमला)/आर0टी0स ी0 करेरा/उत्तरी फ्रन्टियर/ भातिसीपु अकादमी/क्षेत्रीय मुख्यालय(भुवनेश्वर) /ईटानगर	शासी निकाय द्वारा वर्ष 2013 में धनराशि बढायी गयी है इसलिए यथा स्थिति कायम रखी जाये। वर्तमान में फ्री राशन वाहिनियों के लिए देय धनराशि रूपये 40/– एवं पेमेंट राशन वाहिनियों के लिए रू0 125/– प्रतिव्यक्ति दिये जाने का प्रावधान है।	यथावत रखा जाए। **कार्रवाईः–** समस्त ईकाईयां।
4	इस निधि के रख–रखाव हेतु नियुक्त लिपिक को रू0 150/– के स्थान पर रू0 200/–मानदेय स्वीकृत किया जाये।	5वीं/22वीं/52वीं वाहिनी/भातिसीपु अकादमी/क्षे0मु0 (ईटानगर)	यथास्थिति बनाये रखी जाये।	मानदेय रू. 150 से बढ़ाकर 200/– रू. करने हेतु अनुमति प्रदान की गई। **कार्रवाईः–** समस्त ईकाईयां।

5	वाहिनी निधि से ऋण लेने की समय सीमा 03 वर्ष के स्थान पर 02 वर्ष होनी चाहिए।	पर्व0 एवं स्की संस्थान	बैठक में निर्णय लिया जा सकता है।	यथावत रखा जाए। **कार्रवाईः**— समस्त ईकाईयां।
6	यदि किसी जवान की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसके निधन पर मिलने वाली तुरन्त सहायता राशि रू0 8,000 से बढ़ाकर 10,000 की जाये तथा देय की गई राशि की रिकवरी व्यक्ति विशेष के फण्ड से न करके रेजीमेन्टल फण्ड महानिदेशालय से किया जाना चाहिए।	सी0टी0सी0 अलवर	सी0सी0एस0 पेंशन नियम के अन्तर्गत रू0 8000/— तत्काल सहायता राशि का प्रावधान है, अतः यथास्थिति बनाये रखी जाये।	यथावत रखा जाए। **कार्रवाईः**— समस्त ईकाईयां।
7	गृह मंत्रालय के आदेश संख्या—PF-1 दिनांक 28. 07.2010 के अनुसार वाहिनी निधि से खरीद किये जाने वाले स्टोर जो कि डैड स्टॉक में रखे गये हैं हेतु Condemnation Power का पुनर्निर्धारण किये जाने की जरूरत है।	आर0टी0सी0 करेरा	यह मुद्दा रेजीमेंटल फण्ड से संबंधित नही है। डैड स्टॉक के निरस्तीरकरण के लिए जी0 एफ0 आर0 में निहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाये।	प्रस्तावितानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। **कार्रवाई**— समस्त ईकाईयां।
8	अधिवार्षिता पर सेवा निवृत जाने पर आयोजित विदाई समारोह में रखी गई पार्टी में किये जाने वाले खर्च की राशि बल मुख्यालय द्वारा रू0 2,500/—स्वीकृत है जिसे बढ़ाकर रू0 5,000 किये जाने का सुझाव दिया जाता है।	क्षेत्रीय मुख्यालय(बरेली)	शासी निकाय बैठक 2016 में सेवा निवृत कर्मियों को दी जाने वाली भेंट की राशि रू0 5,000/—की गई है। अतः यथा स्थिति बनायी रखी जाये।	प्रस्तावितानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। **कार्रवाई**— समस्त ईकाईयां।
9	वार्षिक शासी निकाय बैठक 2011 में स्वतन्त्रता दिवस/गणतन्त्र दिवस एवं बल स्थापना दिवस के साथ —2 वाहिनी स्थापना दिवस पर भी पेमेन्ट राशन एरिया के लिए रू 125/—व फ्री राशन के लिए रू0 40/— प्रति व्यक्ति वाहिनी कल्याण निधि अथवा वाहिनी निधि से अन्तिम भुगतान करने का प्रावधान है परन्तु वर्ष 2013 की वार्षिक शासी निकाय बैठक में वाहिनी स्थापना दिवस को शामिल नहीं किया गया है। अतः सुझाव है कि वाहिनी स्थापना दिवस पर भी उक्त राशि को कल्याण निधि/वाहिनी निधि से अन्तिम भुगतान करने का प्रावधान होना चाहिए।	क्षेत्रीय मुख्यालय(लखनऊ)	बैठक में निर्णय लिया जा सकता है।	यथावत रखा जाए। **कार्रवाईः**— समस्त ईकाईयां।

10	वाहिनी निधि से दिये जाने वाले लोन की धनराशि रू0 50,000/से बढ़ाकर रू0 1,00,000/— किया जाये तथा इसकी रिकवरी 10 बराबर किस्तों में की जाये।	20वीं वाहिनी	वर्ष —2016 की शासी निकाय बैठक में रू0 25000/— से बढ़ाकर 50000/— कर दिया गया है।	यथावत रखा जाए। **कार्रवाईः—** समस्त ईकाईयां।
11	वाटरविंग भा0ति0सी0पुलिस बल में कुल प्राधिकृत नफरी 119 है परन्तु वर्तमान समय में वाटरविंग में कुल तैनात नफरी 59 है जिसकी वजह से जवानों के कल्याण हेतु वाहिनी निधि में बहुत कम पैसा हो पाता है और वाहिनी निधि से जवानों के आकस्मिक समस्या होने पर वाहिनी निधि से राशि अग्रिम दिया जाता है परन्तु नई स्थापित वाहिनी तथा विंग जहां पर स्वीकृत नफरी कम है वहां पर राशि उपलब्ध होने की वजह से जवानों के कल्याणार्थ राशि नहीं दे पाते हैं। जवानो में आकस्मिक समस्या के लिए अग्रिम देने हेतु महानिदेशालय से राशि उपलब्ध कराई जाये जो कि कुछ समय बाद वाहिनी द्वारा वापस किया जायेगा।	वाटर विंग	विशेष परिस्थिति में मामले को केन्द्रीय कल्याण निधि से राशि स्वीकृति के लिए विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।	प्रस्तावितानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। **कार्रवाई—** समस्त ईकाईयां।
बीमा योजना के एजेंडा पॉईन्ट				
1	बल में पदाधिकारियों की सामूहिक बीमा योजना खत्म होने से पूर्व ही अन्य बीमा योजना निर्धारित की जाये जिससे योजना के लागू होने तक के समय के बीच यदि किसी कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को बीमा का लाभ मिल सके।	क्षेत्रीय मुख्यालय (गंगटोक)	9 मार्च 2017 से एक वर्ष के लिए बल में इच्छा के आधार पर बीमा योजना लागू की गई हैं जिसमें बल के 53,987 पदाधिकारी बीमित है। अतः बीमा पालिसी का 9 मार्च 2018 से पूर्व नवीनीकरण किया जा सकता है।	9 मार्च 2018 को बीमा पालिसी का नवीनीकरण कर दिया गया है। **कार्रवाई—** उप—महानिरीक्षक (प्रशासन)/रेजीमेंटल फण्ड/ समस्त ईकाईयां।

2	एल0आई0सी0/एन0आई0ए0सी0 पूर्ण सेवा काल के लिए होना चाहिए तथा सेवा निवृति के बाद भी इसका लाभ मिलना चाहिए।	क्षेत्रीय मुख्यालय (ईटानगर)	उक्त सुविधा इन्डोमेनट पालिसी के तहत प्रदान की जाती है जिसका प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कम प्रीमियम पर अधिक से अधिक देय लाभांश प्राप्त हो के कारण बल में टर्म बीमा पालिसी को लागू किया जाये।	टर्म इन्श्योरेन्स पॉलिसी को ही यथावत रखा जाए। **कार्रवाई–** उप–महानिरीक्षक (प्रशासन)/रेजीमेंटल फण्ड।
3	Contribution towards any Regimental fund deduction should be optional. Regimental deduction especially towards Insurance policy from the pay of ITBP personnel shall be made only after obtaining their written concent. Moreover before the deduction is made from individual pay and allowances the same may be indicated to the individual concerned.	DC (Office) (Admn Branch) Dte.Gen.	बल में बीमा पालिसी इच्छा के आधार पर लागू की गई है।	प्रस्तावितानुसार अनुमोदित किया गया। **कार्रवाई–** रेजीमेंटल फण्ड।
आई0टी0बी0पी0 कर्मचारी शिक्षा सोसायटी के मुद्दे				
1	आई0टी0बी0पी0 कर्मचारी शिक्षा सोसायटी में बल सदस्यों के वेतन से मासिक अंशदान की कटौती की जाती है इस निधि से साल में एक बार चिल्ड्रन असिस्टेंस सराहनीय बच्चों को देने का प्रावधान होना चाहिए अथवा इस निधि में मासिक कटौती बन्द किया जाना चाहिए।	क्षेत्रीय मुख्यालय (शिमला)	शासी निकाय बैठक के द्वारा वर्ष 2016 में 12वीं कक्षा के मैधावी छात्र/छात्राओं जो कि 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये है उन्हें निम्नानुसार राशि देय की गई है:– (क) 80 से 89 प्रतिशत अंक लाने पर लडको के लिए रू0 3000/–लडकियों के लिए रू0 3,200 (ख) 90 या इसके उपर अंक लाने पर लडको के लिए रू0 3000/–लडकियों के लिए रू0 3,200	(क) बल के पदाधिकारियों के बच्चों में 12वी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता को पारितोषिक देय धनराशि रू. 11,000/– (ख) बल के अन्य कर्मियों के पुत्र/पुत्रियों में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता को पारितोषिक देय राशि 11,000/– (ग) बल के अन्य कर्मियों की पुत्रियों में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता को पारितोषिक

			(ग) बल में तैनात कार्मिको के आश्रितो में से जो छात्र/छात्राओं (अधिकारी के पुत्र व पुत्री /अन्य कर्मियों के पुत्र एवं अन्य कर्मियों की पुत्रियां) सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसको एक मुश्त धनराशि रू0 11–11 ,हजार पारितोषिक स्वरूप धनराशि प्रदान की गई है।	देय राशि 11,000/– उपरोक्तानुसार धनराशि स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की गई। **कार्रवाई–** उप–महानिरीक्षक (प्रशासन)/रेजीमेंटल फण्ड/उप–सेनानी (ई0एस0सी0) महानिदेशालय।
2	द्वारका दिल्ली की तर्ज पर देहरादून, चण्डीगढ, भोपाल, लखनऊ में भी स्कूल/हॉस्टल खोला जाये।	महानिदेशालय (विजिलैंस)	शासी निकाय बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। देहरादून में छात्रावास निर्माणधीन है।	अन्य स्थानों पर स्कूल/हॉस्टल खोलने के लिए अभियंता शाखा एवं शिक्षा अनुभाग द्वारा सर्वे कर, 03 माह में रिपोर्ट महानिदेशक महोदय को प्रस्तुत की जाए। **कार्रवाई–** उप–महानिरीक्षक (अभियंता/कल्याण) उपसेनानी (ई0एस0सी0) महानिदेशालय।
3	1. भा0ति0सी0पुलिस बल में तैनात पदाधिकारियों के बच्चे यदि कक्षा 05वीं के पश्चात 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाते हैं तो उनके उत्साहवर्धन हेतु उचित पुरस्कार दिये जाने का सुझाव दिया जाता है। 2. भा0ति0सी0पुलिस बल की तैनाती वाले उन स्थानों पर जहां पर बच्चों की पढ़ाई हेतु अच्छे स्कूल नहीं है उन स्थानों पर आई0टी0बी0पी0 पब्लिक स्कूल की स्थापना किये जाने का सुझाव दिया जाता है।	क्षेत्रीय मुख्यालय (बरेली)	शासी निकाय बैठक में निर्णय लिया जा सकता है।	कोई आवश्यकता नहीं। **कार्रवाई–** समस्त ईकाईयां।

4	अन्य फण्डों की भांति आई0 टी0 बी0 पी0 कर्मचारी शिक्षा सोसाईटी एवं विशेष कल्याण निधि के रख रखाव हेतु प्रभारी अधिकारी /कार्य सहायक को मानदेय का प्रावधान किया जाये।	महानिदेशालय	प्रभारी अधिकारी को रू 500/– तथा कार्य सहायक को रू0 200/–मानदेय दिया जा सकता है।	माह अप्रैल–2018 से प्रभारी अधिकारी को रू 500/– तथा कार्य सहायक को रू0 200/–का मानदेय दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया है। (केवल डिजिटल/ चैक द्वारा ही देय किया जाये। **कार्रवाईः–** उप–महानिरीक्षक (प्रशासन) महानिदेशालय /रेजीमेंटल फण्ड ।

उप–महानिरीक्षक (प्रशासन)
महानिदेशालय, भा0ति0सी0पुलिस